

राजस्थान सरकार
महिला एवं बाल विकास विभाग
2, जलपथ, गाँधी नगर, जयपुर

क्रमांक: एफ25(50)आईसीडीएस/कम्प्यूटर/राज-पोषण/2015/124404-428 जयपुर,दिनांक 23-9-16
उप निदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग।

जाता, भरतपुर, अलवर वासवाडा बाडमेर, भीलवाड़ा बीकानेर, चुरू, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर,
हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर, करौली, कोटा, नागौर, पाली, सौरा, सिराही, टोंक, उदयपुर, जयपुर, अजमेर
विषय:- राज-पोषण में मानदेय कर्मियों की जन्मतिथि में संशोधन के प्रस्ताव भिजवाने के संदर्भ में।

प्रसंग:-निदेशालय एफ 25 (50) आईसीडीएस/कम्प्यूटर/राज-पोषण/2015/81358-694
दिनांक 01.09.2015

उल्लेखनीय है कि मानदेय कर्मियों की जन्म दिनांक कम्प्यूटर में राजपोषण सॉफ्टवेयर में मास्टर डाटा फीडिंग करते समय गलत एन्ट्री होने के पर विभाग के आदेश क्रमांक 81358-694 दिनांक 01.09.2015 द्वारा निर्देश दिये गये थे। संशोधन के प्रस्ताव भेजने की अंतिम तिथि 30.09.2015 थी।

आपके कार्यालय से मानदेय कर्मियों की जन्म तिथि में संशोधन हेतु प्रस्ताव विभाग के आदेश क्रमांक एफ 25(50)आईसीडीएस/कम्प्यूटर/राज-पोषण/2015/81358-694 दिनांक 01.09.2015 द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप नहीं है कृपया उपरोक्त आदेशानुसार निम्न दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति के साथ ही प्रकरण प्रेषित करेंगे:-

1. बाल विकास परियोजना अधिकारी उनके कार्यालय में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/मिनी कार्यकर्ता/सहायिका/आशा सहयोगिनी के चयन उपरान्त संधारित किये जाने वाले रजिस्टर की प्रमाणित छाया प्रति।
2. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/मिनी कार्यकर्ता/सहायिका/आशा सहयोगिनी के Group insurance policy की प्रमाणित छाया प्रति।
3. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/मिनी कार्यकर्ता/सहायिका/आशा सहयोगिनी की व्यक्तिगत पत्रावली (Personal file) की प्रमाणित छाया प्रति।

अतः आप द्वारा प्रेषित मूल प्रस्ताव पूनः लौटाकर आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि मानदेय कर्मियों की जन्मतिथि के राजपोषण में इन्द्राज में आवश्यक संशोधन हेतु प्रस्ताव उक्त बिन्दुओं के आधार पर प्रकरण का परीक्षण कर सभी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति पत्र के साथ संलग्न कर एवं अपनी स्पष्ट अनुशंषा सहित एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक) को राजपोषण सॉफ्टवेयर में संशोधन हेतु प्रस्तुत करेंगे। अनावश्यक एवं गलत प्रस्ताव भिजवाने पर राजस्थान सेवा नियम के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यावाही प्रस्तावित की जायेगी।

संलग्न उपरोक्तानुसार।

निदेशक

समंकेत बाल विकास सेवाएं
राजस्थान जयपुर।
जयपुर,दिनांक 23-9-16

क्रमांक: एफ25(50)आईसीडीएस/कम्प्यूटर/राज-पोषण/2015/124429-733
प्रतिलिपि:-

1. विशिष्ट सहायक माननीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान सरकार।
2. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी।

22-9-16
उप निदेशक (प्रशिक्षण)
समंकेत बाल विकास सेवा